



2026:AHC:124642

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19056/2026

रीना देवी

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता	:	आशीष अग्रवाल, उत्तम सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए श्री शिव दत्त शुक्ला को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत याचिका मामले की सुनवाई के दौरान आवेदक को धारा 103(1), 217-बी बीएनएस के तहत अपराध संख्या 88/2025 थाना साध, जिला कानपुर नगर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि एफआईआर में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है और जांच के दौरान उसे उसके इकबालिया बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इकबालिया बयान के अलावा उसके खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि वह पिछले एक साल से जेल में बंद है और जमानत मिलने पर वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि आवेदक और सह-आरोपी सतीश के बीच अवैध

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंध थे और जब मृतक को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उन्होंने आगे कहा कि मृतक की मां ने भी आवेदक और सह-आरोपी सतीश के अवैध संबंध की पुष्टि की है।

5. इसके जवाब में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक की माता चंद्रावती ने पुलिस के समक्ष ऐसा कोई बयान देने से इनकार किया है। उन्होंने सत्र न्यायाधीश के समक्ष हलफनामा भी दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने जांच अधिकारी के समक्ष कोई बयान नहीं दिया है।
6. एफआईआर के अनुसार, प्रथम सूचनाकर्ता के पति की हत्या तीन नामजद आरोपियों ने की थी। हालांकि, जांच के दौरान यह पता चला कि आवेदक, जो कि प्रथम सूचनाकर्ता है, इस घटना में शामिल थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि आवेदक और सह-आरोपी सतीश के बीच अवैध संबंध थे और उसके इकबालिया बयान के अलावा उसके खिलाफ कोई अन्य पुख्ता सबूत नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की मृत्यु का कारण सिर में लगी चोट है। इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025** एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024** एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
8. अतः, वर्तमान आवेदन को **स्वीकार** किया जाता है।
9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **रीना देवी** को 1,00,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- (iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **संबंधित जेल अधीक्षक** के माध्यम से आवेदक को ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो जमानत देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, **पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल, इन री: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णय लिया गया, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ, के अनुपालन में हो।**

2 जून, 2026

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।